

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	अशोकनगर जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाइन, एम.बी.आर. तथा पंपिंग मार्ग निर्माण हेतु 3.885 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, गुना को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--


(SUNIL AGRAWAL)

Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal

तिथि:- 07/08/2023

स्थान:- भोपाल।